

**FORM-1**  
**( for linear projects )**  
**Government of Chhattisgarh**  
**Office of the District Collector- Bastar**

**Annexure-I**

No. / Q/Reader/ 2017

Dated 11 / 08 / 2017

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights ) Act, 2006 ('FRA' for short ) on the forest land proposed to be diverted for non -forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that 23.535 hectares of forest land (Revenue forest, RF & PF) proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer 400KV Line Constn. Division Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited , Kanker for Construction of 220 KV DCDS Transmission line from 220/132 KV Substation Barsoor to proposed 400/220 KV Substation Jagdalpur in district falls within jurisdiction surguda, karanji, tekameta, palwa, raykot, pathril, maulibhata, burungpal, gurram, telga aarapur, arrakot, nainnar, katakanda, badekilepal, mutanpal, tirtum, lalaguda, dhokam, kodenar, turangur, mahupalbarei, parchanpal, bangapal, kolchur, kabiasna village's in Lohandiguda, Tokapal, Darbha ,Bastanar and bastar Tehsil .**

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 23.535 hectares of forest area proposed for division. A copy of record of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ..... to annexure .....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:- As above



*K. Dewangan*  
(DHANNJAY DEWANGAN)  
Collector  
District Bastar (C.G.)

## वन अधिकारी की मान्यता के अंतर्गत गठित अनुविभाग अधिकारी स्तर की समिति की कार्यवाही बैठक का विवरण

यूजर एजेन्सी कार्यपालन अभियंता, 400के.व्ही. लाईन (निर्माण) संभाग, कांकेर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, रायपुर द्वारा प्रस्तावित 220के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन प्रस्तावित 400/220के.व्ही उपकेन्द्र जगदलपुर से 220/132के.व्ही उपकेन्द्र बारसूर तक बस्तर जिले के लोहाण्डीगुड़ा तहसील के ग्राम सुरगुड़ा के राजस्व वन से गुजरने का प्रस्ताव है। अतः विद्युत लाईन निकालने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6 (3) के प्रावधान के अंतर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों/अधिकारों के निर्वहन में नियम 2008 में नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत अनुविभागीय स्तर समिति की बैठक दिनांक 02.08.2017 को आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार समिति की सदस्यों ने भाग लिया :-

1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	जगदलपुर	अध्यक्ष
2.	अनुविभागीय अधिकारी (वन)	चित्रकोट	सदस्य
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ज.पं.)	लोहाण्डीगुड़ा	सदस्य
4.	सदस्य जनपद पंचायत क्षेत्र क्र.-11	जगदलपुर	सदस्य
5.	सदस्य जनपद पंचायतक्षेत्र क्र.-10	जगदलपुर	सदस्य
6.	सदस्य जनपद पंचायतक्षेत्र क्र.-7	लोहाण्डीगुड़ा	सदस्य

वन भूमि पर अधिकार के अधिभोग के संबंध में बस्तर जिले के लोहाण्डीगुड़ा तहसील के सुरगुड़ा की ग्राम सभाओं में स्थित वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में पारित संकल्प पर विचार किया गया और यह पाया गया कि वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत कृषि, आवास, य अन्य किसी भी आजिविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तथा अनुसूचित जनजाति व आदिम वनवासी को भूमि में व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र नहीं प्रदाय किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	वनअधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	कुल प्रभावित रकबा (हे.)
1	सुरगुड़ा	KH. 613	—	0.587
		KH. 530	—	0.463
		KH. 528	—	0.176
		KH. 521	—	0.436
		KH. 519	—	0.517
		KH. 516	—	0.261
		KH. 526	—	0.197
		KH. 524	—	0.019
		KH. 522	—	0.217
		KH. 646	—	0.049
योग	1		—	2.922 हे.

अतः गैर वन उद्देश्य अर्थात् प्रस्तावित 220 के.व्ही. जगदलपुर से बारसूर तक पारेशन लाईन हेतु अनुविभाग जगदलपुर में स्थित वन मंडल में जगदलपुर रेंज मे 2.922 हे. वन भूमि के विपथन/प्रत्यावर्तन को समिति के बैठक में सर्व सम्मति से पारित किया गया ।


  
21/8/17  
अनुविभागीय अधिकारी (वन)  
जगदलपुर, जिला बस्तर

  
जनपद पंचायत, क्षेत्र क्र.-11 जगदलपुर  
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति जगदलपुर

  
21/8/17  
जनपद पंचायत, क्षेत्र क्र.-7 लोहण्डीगुडा  
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति, जगदलपुर

  
08/08/2017  
अनुविभागीय अधिकारी (वन)  
चित्रकोट

  
जनपद पंचायत, क्षेत्र क्र.-10 जगदलपुर  
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति जगदलपुर

  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  
जगदलपुर  
अध्यक्ष, अनुभाग स्तरीय समिति जगदलपुर

  
21/8/17  
मुख्य कार्यवाहन अधिकारी (ज.प.)  
लोहण्डीगुडा

वन अधिकारों की मान्यता के अंतर्गत गठित अनुविभाग अधिकारी स्तर की समिति की कार्यवाही बैठक का विवरण

युजर एजेन्सी कार्यपालन अभियंता, 400 के.व्ही लाईन (निर्माण) संभाग, कांकेर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत, पारेषण कम्पनी मर्यादित, रायपुर द्वारा प्रस्तावित 220 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन प्रस्तावित 400/220 के.व्ही. उपकेन्द्र जगदलपुर से 220/132 के.व्ही. उपकेन्द्र बारसुर तक बस्तर जिले के बस्तर तहसील के ग्राम महुपालबरई, परचनपाल/बांगापाल, कोलचुर, चिडईपदर, टिकरालोंहगा, कबीआसना, किंजोलीपाल, कुडकानार के राजस्व वन से गुजरने का प्रस्ताव है। अतः विद्युत लाईन निकालने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रस्तावित है। इस संबन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6 (3) के प्रवाधान के अंतर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों / अधिकारों के निर्वहन के नियम 2008 में नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत अनुविभागीय स्तर समिति की बैठक दिनांक 03 जुलाई 2017 को आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार समिति के सदस्यों ने भाग लिया है

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	बस्तर	अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ज.पं.)	बस्तर	सचिव
3. अनुविभागीय अधिकारी (वन)	बस्तर	सदस्य
4. अध्यक्ष जनपद पंचायत	बस्तर	सदस्य
5. उपाध्यक्ष जनपद पंचायत	बस्तर	सदस्य
6. जनपद पंचायत	बस्तर	सदस्य
7. मण्डल संयोजक	बस्तर	सदस्य
8. मण्डल संयोजक	बकावण्ड	सदस्य
9. अनुविभागीय अधिकारी (वन)	बकावण्ड	सदस्य
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ज.पं.)	बकावण्ड	सदस्य

वन भूमि पर अधिकार के अधिभोग के संबंध में बस्तर जिले के बस्तर तहसील के महुपालबरई, परचनपाल/बांगापाल, कोलचुर, चिडईपदर, टिकरालोंहगा, कबीआसना, किंजोलीपाल, कुडकानार की ग्राम सभाओं में स्थित वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में पारित संकल्प पर विचार किया गया और यह पाया गया कि वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत कृषि, आवास या अन्य किसी भी आजिविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तथा अनुसूचित जनजाति व आदिम वनवासी को भूमि में व्यक्तिगत वनाधिकार मान्यता प्रमाण प्रदान नहीं किया गया है जो निम्नानुसार है:-

क्र०	ग्राम का नाम	खसरा क्र०	कुल प्रभावित रकबा (हे०)
1	महुपालबरई	98	0.561
		91	0.461
		100	0.040
		85	0.509
2	परचनपाल / बांगापाल	22	0.137
		19	0.082
3	कोलचूर	451	0.057
4	चिडईपदर	—	—
5	टिकरालोंहगा	—	—
6	कबी आसना	547	0.033
	किंजोलीपाल	—	—
8	कुडकानार	—	—
	कुल		1.880 (हे.)


2. इंदिरागांधी कृषि विश्व विद्यालय द्वारा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कार्य के राजस्व वन भूमि का प्रत्यावर्तन के संबंध में निम्नानुसार प्रस्तावित की जाती है।

क्र०	ग्राम का नाम	खसरा क्र०	कुल प्रभावित रकबा (हे०)
01	लामकेर	383	0.10
02	लामकेर	384	0.10
03	लामकेर	359	0.17
04	लामकेर	424	0.55
05	लामकेर	427	0.51
06	लामकेर	428	0.45
07	लामकेर	429	0.69
08	लामकेर	430	0.69
09	लामकेर	431	0.25
10	लामकेर	434	0.25
11	लामकेर	435	0.20
12	लामकेर	439	0.38
13	लामकेर	441	0.45
	योग	13	4.79

*(Handwritten signature)*

प्रस्ताव क्रमांक 01 एवं 02 परीक्षण किया गया दोनों प्रस्तावों के लिए ग्राम सभा सहमति से ली गई है। प्रस्ताव क्रमांक 01 एवं 02 की भूमि को किसी भी व्यक्ति को वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदाय नहीं किया गया है। अतः प्रस्ताव क्रमांक 01,02 को प्रत्यावर्तन के लिए अनुमोदन किया जाता है।

  
अनुविभागीय अधिकारी (ज.स्व.)  
अनुविभागीय अधिकारी (ज.स्व.)  
बस्तर

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ज.पं.)  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ज.पं.)  
जनपद पंचायत बस्तर (छ.ग.)


  
अनुविभागीय अधिकारी (वन)  
अनुविभागीय अधिकारी (वन)  
जगदलपुर

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ज.पं.)  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ज.पं.)  
जनपद पंचायत बकावण्ड


  
उप वनमण्डलाधिकारी  
उप वनमण्डलाधिकारी (वन)  
जगदलपुर अधिकारी (वन)  
बकावण्ड

  
शकुन्तला कश्यप  
अध्यक्ष  
अध्यक्ष पंचायत बस्तर  
जनपद पंचायत बस्तर

  
दुर्गावती मारकण्डे  
जनपद सदस्य  
जनपद सदस्य 12  
बस्तर

  
जनपद सदस्य  
जनपद सदस्य  
अरुण पाण्डे  
उपाध्यक्ष  
जनपद पंचायत बकावण्ड

  
मण्डल संयोजक  
मण्डल संयोजक  
आदिवारी विकास  
बकावण्ड

  
मण्डल संयोजक  
मण्डल संयोजक  
बकावण्ड  
मंडल संयोजक  
आदिवारी विकास खण्ड  
बकावण्ड जिला बस्तर (छ.ग.)

वन अधिकार की मान्यता के अंतर्गत गठित अनुभाग स्तर की समिति की  
कार्यवाही बैठक का विवरण

यूजर एजेन्सी कार्यपालन अभियंता, 400के.व्ही. लाईन (निर्माण) संभाग, बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, रायपुर द्वारा प्रस्तावित 220के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन प्रस्तावित 400/220के.व्ही उपकेन्द्र जगदलपुर से 220/132के.व्ही उपकेन्द्र बारसूर तक बस्तर जिले के तहसील तोकापाल, तहसील दरभा एवं तहसील बास्तानार के विभिन्न ग्रामों के राजस्व वन, से गुजरने का प्रस्ताव है। अतः विद्युत लाईन निकालने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6 (3) के प्रावधान के अंतर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों/अधिकारों के निर्वहन में नियम 2008 में नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत अनुविभागीय स्तर समिति की बैठक दिनांक 02.08.2017को आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार समिति की सदस्यो ने भाग लिया :-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	तोकापाल	अध्यक्ष
2. अनुविभागीय अधिकारी (वन) परिक्षेत्र	चित्रकोट	सदस्य
3. तहसीलदार	तोकापाल	सदस्य
4. तहसीलदार	दरभा	सदस्य
5. तहसीलदार	बास्तानार	सदस्य
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ज.पं.)	तोकापाल	सदस्य
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ज.पं.)	दरभा	सदस्य
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ज.पं.)	बास्तानार	सदस्य
9. जनपद पंचायत	तोकापाल क्षेत्र क्र.1	सदस्य
10. जनपद पंचायत	दरभा क्षेत्र क्र.2	सदस्य
11. जनपद पंचायत	बास्तानार क्षेत्र क्र.3	सदस्य

वन भूमि पर अधिकार के अधिभोग के संबंध में बस्तर जिले के तहसील तोकापाल, दरभा एवं बास्तानार के ग्राम- करंजी टेकामेटा, पलवा, रायकोट, पत्थरली उर्फ उडवा, मावलीभाटा, बुरुंगपाल, गुराम तेलगा आरापुर, एर्राकोट, नैननार, काटाकांदा, बडे किलंपाल, मुतनपाल, तिरथुम, लालागुडा, ढोकम, कोडेनार, तुरांगुर की ग्राम में स्थित वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में पारित संकल्प पर विचार किया गया और यह पाया गया कि वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत कृषि, आवास, या अन्य किसी भी आजिविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तथा अनुसूचित जनजाति व आदिम वनवासी को भूमि में व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र नहीं प्रदाय किया गया है, जो निम्नानुसार है -



क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	वनअधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	कुल प्रभावित रकबा (हे.)	कैफियत
1	तोकापाल	करंजी	KH. 874	—	0.293	छोटे झाड़ जंगल
2		टेकामेटा	KH. 327	—	0.075	छोटे झाड़ जंगल
3			KH. 325	—	0.045	छोटे झाड़ जंगल
4		पलवा	KH. 41	—	0.044	छोटे झाड़ जंगल
5			KH. 39	—	0.052	छोटे झाड़ जंगल
6			KH. 28	—	0.350	छोटे झाड़ जंगल
7		रायकोट	KH. 73	—	0.366	छोटे झाड़ जंगल
8			KH. 238	—	0.468	चन्द्रकांति पति सुदरु जाति रावत का 0.24 हे0 है एवं कमला पति सीताराम जाति रावत का 0.10 हे0 का कब्जा कास्त।
9			KH. 18	—	0.019	इंदिरा आवास हेतु सुरक्षित
10		पत्थरली उर्फ उड़वा	KH. 710	—	0.022	श्मशान घाट, पेटी चांदा विदयमान
11			KH. 705	—	0.001	छोटे झाड़ जंगल
12			KH. 704	—	0.172	पानी के नीचे
13			KH. 695	—	0.101	चंदा विदयमान
14			KH. 356	—	0.089	छोटे झाड़ जंगल
15			KH. 321	—	0.047	घास मद
16			KH. 298	—	0.002	घास मद
17		मावलीभाटा	KH. 14	—	0.044	नि.प.के.अनु. छिलने की जंगह
18		बूरुंगपाल	KH. 847	—	0.714	छोटे झाड़ जंगल
19			KH. 779	—	0.013	छोटे झाड़ जंगल
20			KH. 699	—	1.125	छोटे झाड़ जंगल
21			KH. 695	—	0.236	छोटे झाड़ जंगल
22			KH. 694	—	0.061	छोटे झाड़ जंगल
23			गूराम	KH. 34	—	0.293
24		KH. 91		—	0.001	
25		KH. 88		—	0.032	
26		KH. 92		—	0.419	
27		तेलगा आरापुर	KH. 13/2	—	0.200	छोटे झाड़ जंगल
28		एराकोट	KH. 590	—	0.030	—
29			KH. 375	—	0.032	छोटे झाड़ जंगल
30			KH. 262	—	0.010	छोटे झाड़ जंगल
31		नैननार	KH. 847	—	0.135	छोटे झाड़ जंगल
32			KH. 846	—	0.040	छोटे झाड़ जंगल
33			KH. 845	—	0.095	छोटे झाड़ जंगल
34			KH. 843	—	0.471	छोटे झाड़ जंगल
35			KH. 833	—	0.238	छोटे झाड़ जंगल

*Signature*

36			KH. 834	—	0.317	छोटे झाड़ जंगल	
37			KH. 859	—	0.595	छोटे झाड़ जंगल	
38			KH. 745	—	0.428	छोटे झाड़ जंगल	
39			KH. 744	—	0.420	छोटे झाड़ जंगल	
40			KH. 848	—	0.167	छोटे झाड़ जंगल	
41			KH. 850	—	0.160	छोटे झाड़ जंगल	
42	दरभा	काटाकांदा	KH. 200	—	0.022	छोटे , बड़े झाड़ के जंगल	
43			KH. 199	—	0.109	छोटे , बड़े झाड़ के जंगल	
44	बास्तानार	बड़े किलेपाल	KH. 381/52	—	0.211	छोटे झाड़ जंगल	
45		मूतनपाल	KH. 293	—	0.946	नि.प.के.अनु.च.हे.सु	
46			KH. 291	—	0.973	नि.प.के.अनु.च.हे.सु	
47			KH. 272	—	0.181	नि.प.के.अनु.च.हे.सु	
48			KH. 268	—	0.214	नि.प.के.अनु.च.हे.सु	
49			KH. 226	—	0.105	नि.प.के.अनु.	
50			तिरथुम	KH. 155	—	0.256	बड़े झाड़ जंगल
51		KH. 153		—	0.013	बड़े झाड़ जंगल	
52		KH. 154		—	0.586	बड़े झाड़ जंगल	
53		KH. 115		—	0.306	बड़े झाड़ जंगल	
54		KH. 114		—	0.474	बड़े झाड़ जंगल	
55		लालागुड़ा	KH. 486	—	0.075	छोटे झाड़ का जंगल	
56			KH. 435	—	0.086	छोटे झाड़ का जंगल	
57			KH. 419	—	0.919	छोटे झाड़ का जंगल	
58		ढोकम	KH. 80	—	0.278	चराई/छोटे झाड़ का जंगल	
59			KH. 78	—	0.082	चराई/छोटे झाड़ का जंगल	
60			KH. 77	—	0.533	चराई/छोटे झाड़ का जंगल	
61			KH. 75	—	0.023	चंदानवि.चराई	
62			KH. 30	—	0.325	चराई/छोटे झाड़ का जंगल	
63			KH. 71	—	0.351	चराई/छोटे झाड़ का जंगल	
64			KH. 17	—	0.316	चराई/छोटे झाड़ का जंगल	
65			KH. 20	—	0.713	छोटे झाड़ का जंगल	
66			KH. 18	—	0.043	चराई/छोटे झाड़ का जंगल	
67			कोड़ेनार	KH. 714	—	0.015	छोटे झाड़ का जंगल
68				KH. 699	—	0.305	छोटे झाड़ का जंगल
69				KH. 647	—	0.833	छोटे झाड़ का जंगल
70			तुरांगुर	KH. 363	—	0.057	नि.प. अनुसार चराई
71				KH. 257	—	0.867	चराई
72		KH. 184		—	0.094	—	
		योग				18.733 (हे.)	


*Handwritten signature*

अतः गैर वन उद्देश्य अर्थात् प्रस्तावित 220के.व्ही. जगदलपुर से बारसूर तक पारेषण लाईन हेतु अनुभाग तोकापाल में स्थित वनमंडल में तोकापाल रेंज में 18.733 (हे.) वन भूमि के विपथन/प्रत्यावर्तन को समिति के बैठक में सर्व सम्मति से पारित किया गया ।

  
02.09.17  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  
अनुभाग (अल्पवृक्ष वन समिति)  
तोकापाल, जिला बस्तर (छ.ग.)

  
अनुविभागीय अधिकारी (वन) परिक्षेत्र  
चित्रकोट (सदस्य)  
अनुभाग स्तरीय वन समिति  
तोकापाल, जिला बस्तर (छ.ग.)


  
तहसीलदार तोकापाल सदस्य


  
तहसीलदार दरभा सदस्य  
02.08.2017

  
तहसीलदार बास्तानार सदस्य

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ज.पं.)


तोकापाल सदस्य  
अनुभाग स्तरीय वन समिति  
तोकापाल, जिला बस्तर (छ.ग.)

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ज.पं.)

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ज.पं.)

दरभा सदस्य  
अनुभाग स्तरीय वन समिति  
तोकापाल, जिला बस्तर (छ.ग.)

दरभा सदस्य  
अनुभाग स्तरीय वन समिति  
तोकापाल, जिला बस्तर (छ.ग.)

  
जनपद पंचायत जनपद पंचायत

तोकापाल क्षेत्र क्र. 1 सदस्य  
अनुभाग स्तरीय वन समिति  
तोकापाल, जिला बस्तर (छ.ग.)

  
दरभा क्षेत्र क्र. 2 सदस्य

अनुभाग स्तरीय वन समिति  
तोकापाल, जिला बस्तर (छ.ग.)

  
जनपद पंचायत

बास्तानार क्षेत्र क्र. 3 सदस्य  
अनुभाग स्तरीय वन समिति  
तोकापाल, जिला बस्तर (छ.ग.)